मोनिका राठौड़ बनाम बाल विकास परियोजना
02/2017

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
25.02.2019	पक्षकारान् उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया गर्भावस्था में होने के कारण चिकित्सकीय सलाह से बेड रेस्ट पर होने के कारण कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो सकी थी। इन तथ्यों को प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी उजागर किया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नकारते हुए प्रार्थीया को मानदेय सेवा से पृथक किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। अतः प्रार्थीया की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः सेवा बहाली करने के आदेश पारित करावें। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा अपने कर्तव्य से लम्बे समय से अनुपस्थित रहने के कारण मानदेय सेवा से पृथक करने के आदेश पारित किए गए है, जो विधि सम्मत हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज़ करावें। प्रकरण में वर्णित तथ्यों का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा बार–बार निरीक्षण में भी प्रार्थीया अनुपस्थित पाई गई तथा अधीनस्थ विभाग द्वारा प्रार्थीया को विधिवत नोटिस भी जारी किए गए, जिनके प्रत्युत्तर सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर जैर अपील आदेश के जरिये प्रार्थीया को मानदेय सेवा से पृथक किए जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्र बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज़ किया जाता हैं। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली अति. जिला कलेक्टर, पाली	